(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

प्रकरण संख्या : 42/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 15.07.2024 निर्णय दिनांक : 11.09.2024

1. जसवन्त पुत्र स्वर्गीय ग्यारसीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम आनंदपुर तहसील मांढण जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान – प्रार्थी

बनाम

1. रामलाल पुत्र श्री मंगलराम जाति अहीर निवासी ग्राम आनंदपुर तहसील मांढण जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब नीमराना जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान
3. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नीमराना तहसील नीमराना जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान – अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बउनवानी ग्यारसीलाल बनाम नन्दलाल व अन्य मुकदमा नं0 97/2022 व स्थगन प्रार्थना पत्र को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री रामकिशन शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री भीमसिंह यादव अधिवक्ता अप्रार्थी 01 की ओर से।

निर्णय दिनांक–11.09.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के समक्ष प्रकरण संख्या 97/2022 उनवानी रामलाल बनाम ग्यारसीलाल व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी नीमराणा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 01 ओर से अधिवक्ता रामकिशन शर्मा ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पर सीधी बहस करना जाहिर किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी के पिता ग्यारसीलाल द्वारा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष एक वाद बाबत तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी बअनुवानी रामलाल बनाम ग्यारसीलाल व अन्य प्रकरण सं० 97/2022 प्रस्तुत किया जो कि प्रार्थी के पिता ग्यारसीलाल दौराने दावा दिनांक 30.10.2023 को फौत हो गये जिसके कारण प्रार्थी के पिता ग्यारसीलाल के विधिक वारिस प्रार्थी व अन्य वारिसान रिकार्ड पर आ चुके है। आराजी खसरा नम्बर 1379 रकबा 0.71 है0, वाके ग्राम आनन्दपुर तहसील मांढण जिला कोटपूतली बहरोड़ में स्थित है। उक्त आराजी में वादी 1/2 व प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगण की सामलात की सहखातेदारी की आराजी है। जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा खसरा नम्बर 1379 रकबा 0.71 है० वाके ग्राम आनन्दपुर तहसील मांढण का तकासमा करने पर आमदा होने से दिनांक 24.07.2023 को अधिनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गई। उक्त डिक्री के विरूद्ध प्रार्थी के पिता ग्यारसीलाल द्वारा न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के समक्ष अधिनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.07.2023 निरस्त करते हुये प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमांड किया गया कि वो दोनों पक्षों को सुनकर पुनः निर्णय पारित करे। लेकिन पीठासीन अधिकारी द्वारा अपीलीय न्यायालय के आदेश की कोई पालना नही की जा रही बल्कि अप्रार्थी रामलाल व उनके अधिवक्ता बार बार पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

जाकर प्रकरण को गलत दिशा देने व प्रार्थी के साथ अन्याय की मशा लेकर प्रार्थी के प्रकरण में कोई कार्यवाही नही की जा रही है जिसके कारण प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से कोई न्याय की उम्मीद नही है। जिस पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। इसलिये उपरोक्त प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण का स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष विचाराधीन वाद उनवानी ग्यारसीलाल बनाम नन्दलाल व अन्य प्रकरण सं0 97/2022 व स्थगन प्रार्थना पत्र राजस्व न्यायालय नीमराणा के अतिरिक्त जिले के अन्यत्र न्यायालय में किया जाना न्यायसंगत है।

5. अप्रार्थी सं0 01 की ओर से अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी के द्वारा जानबूझकर प्रकरण में विलम्ब करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो चलने योग्य नही है। प्रकरण के निस्तारण को लम्बित करने के उद्देश्य से मनगढंत एवं मिथ्या तथ्यो के आधार पर प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के पक्ष में प्रार्थी द्वारा कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये है। अन्त में वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस मे उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि प्रार्थी द्वारा गलत एवं मनगढंत तथ्य अंकित किये है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नीमराना को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 11.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कल्पना अग्रवाल)
I.A.S.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड